तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 2719 / 2003 / अलवर** **ओमकार बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.1.21	**<u>एकल पीठ</u>** श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य **<u>उपस्थिति :–</u>** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामसुख चौधरी, उप राज0 अधिवक्ता अप्रार्थीगण **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी, जिला अलवर द्वारा दिनांक 13–03–2003 को प्रकरण संख्या 1/301/94 शीर्षक ओमकार बनाम राज0 राज्य में पारित आदेंश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, जाप्ता दीवानी स्वीकार कर प्रकरण में उसे बतौर पक्षकार संयोजित करने का आदेश प्रदान किया गया है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, जिसके आदेशार्थ पत्रावली हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने दोराने बहस निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या–3 द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 13–03–2003 के द्वारा उसे अविधिक रुप से पक्षकार बनाया गया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक आराजी अंकित है और वादी/प्रार्थी का इस पर पुराना कब्जा चला आ रहा है, आराजी वन विभाग की राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है और ना ही वन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। प्रार्थी का दावा वर्ष 1994 से चलता रहा है किन्तु कभी भी गैर निगराकार संख्या–3 के द्वारा प्रकरण में पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में जिस अधिवक्ता द्वारा पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वह वन विभाग की ओर से अधिकृत नहीं था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर निगराकार संख्या–3 को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाये और अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 2719 / 2003 / अलवर** **ओमकार बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंतर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया जाए। योग्य राजकीय उप अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि किसी व्यक्ति को पक्षकार संयोजित करना या नहीं करना यह न्यायालय का विशेषाधिकार है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी ग्राम कुण्डलका क्षेत्र में है और ग्राम कुण्डलका बाघ परियोजना प्रबंधाधियोजना के अनुसार सरिस्का टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में आती है जिस पर वन विभाग का हित निहित है। अतः वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें वन विभाग का पक्ष सुना जाना आवश्यक है। अतः वन विभाग प्रकरण में आवश्यक व व्यथित पक्षकार होने से अधीनस्थ न्यायालय ने वन विभाग को सही प्रकार से पक्षकार संयोजित किया है। इस आदेश में किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं रही है और निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। निगरानी खारिज की जावे। हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया हस्तगत प्रकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 (2) से सम्बन्धित है। उक्त प्रावधान निम्न प्रकार है :– **10- (2) Court may stirke out or add parties.—**The Court may at any stage of the proceedings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the Court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name, of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the Court may be necessary in order to enable the Court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, be added. आदेश 1 नियम 10 (2), सिविल प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि **न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, किसी भी पक्षकार का नाम काट सकेगा या जोड सकेगा, जो कि स्पष्ट रुप से न्यायालय का विवेकाधिकार का प्रश्न है।** हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि आदेश 1 नियम 10 (2), सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है उसमें मुख्य रुप से यही आधार लिया है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 2719 / 2003 / अलवर** **ओमकार बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रश्नगत आराजी ग्राम कुण्डलका क्षेत्र में है और ग्राम कुण्डलका बाघ परियोजना प्रबंधाधियोजना के अनुसार सरिस्का टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में आती है जिस पर वन विभाग का हित निहित है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी खसरा परिवर्तनशील के अंकनों के अनुसार बंजड बीड गै0मु0 चरागाह के रुप में अंकित है, जिससे प्रकरण में वन विभाग का हित निहित होने से अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग का पक्षकार संयोजित करने का आवेदन सही प्रकार से स्वीकार किया है। निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार बाद आवश्यक कार्यवाही वापिस भिजवाया जाए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	